

गण्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज 0

पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

करण संख्या- 26/2019

दिनांक 24.01.2022


अनवान

1. नारायणलाल पिता नाना नाई उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
(सांवलियाजी) तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. दिनेश कुमार पिता नाना नाई उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
(सांवलियाजी) तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. नितिन पिता रामदास वैष्णव उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
(सांवलियाजी) तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. शोभादेवी पत्नि रामदास वैष्णव वेरागी उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
(सांवलियाजी) तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. मुकेश कुमार पिता विजय कुमार उर्फ विरेन्द्र कुमार मेहता जैन वयस्क
निवासी भीण्डर जिला उदयपुर

----वादीगण

II. बनाम II

1. पुष्पा बाई पुत्री भेरूलाल नाई उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
(सांवलियाजी) तहसील भदेसर तहसील जिला चित्तौड़गढ़
2. कंचन बाई पत्नि भेरूलाल नाई वयस्क निवासी मण्डफिया
(सांवलियाजी) तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ (नाम हटाया गया)
3. कालू पिता नाना नाई उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया (सांवलियाजी)
तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. लीला देवी पत्नी भंवरलाल खटीक उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया
(सांवलियाजी) तहसील भदेसर


उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़



5. कैलाशचन्द्र पिता हीरालाल सोनी उम्र वयस्क निवासी मण्डफिया (सांवलियाजी) तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. नरेन्द्रकुमार पिता राधेश्याम वैष्णव वयस्क निवासी हिंता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर
7. नरेन्द्र पिता कन्हैयादास वैष्णव वयस्क निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
8. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा0 का0 अधि0 1955

उपरिथत- श्री फारुख मोहम्मद वकील वादीगण

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53,188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया - वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम गिदाखेडा प0ह0 मण्डफिया में स्थित परिशिष्ट-अ खाता संख्या 111 आराजी नम्बर 517, 518 कुल किता-2 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर, परिशिष्ट-ब खाता संख्या 176 आराजी नम्बर 519 रकबा 0.45 हैक्टेयर, परिशिष्ट-स खाता संख्या 203 आराजी नम्बर 522 रकबा 0.31 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात वादीगण तथा प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी में जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड है, तथा माफिक हिस्सा भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं मगर खाता शामिल होने से व विधिवत बंटवाडा नहीं होने से रकबे एवं लगान को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। तथा वादी अपने हक हिस्से की आराजी को उन्नत नहीं करा पा रहा है बंटवाडा हेतु प्रतिवादी को बंटवाडा हेतु इन्कार हो गये। वादग्रस्त आराजीयात को प्रतिवादी अन्य को खुर्द बुर्द करने पर आमामादा है। अतः वादी के कब्जे को ध्यान में रखते हुए माफिक हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

प्रकरण बाद कार्यवाही दिनांक 24.12.2020 को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा बाद वर्णित मौजा ग्राम गिदाखेडा प0ह0 मण्डफिया की विवादित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया। आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/ राजस्व/2022/91 दिनांक 21.01.2022 से तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से आराजी का बंटवारा वाद वादीगण निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

क्र. स.	नाम खातेदार मय हिस्सा	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टैयर में)	लगान (रुपये)
1	नारायण पुत्र नाना नाई सा.देह	517/2	0.23	
		519/2	0.06	
		522/1	0.15	
	कुल	किता 3	0.44	
2	दिनेश पुत्र नारायणलाल नाई सा. देह	522/2	0.0214	
	कुल	किता 1	0.02	
3	शोभादेवी पत्नि रामदास वैष्णव सा. मण्डफिया	522/5	0.0214	
	कुल	किता 1	0.02	
4	नितिन पुत्र रामदास वैष्णव सा. मण्डफिया	522/4	0.0214	
	कुल	किता 1	0.02	
5	कालु पुत्र नाना 1/2 जमनाबाई पुष्पाबाई राजीबाई पुत्री भेरुलाल 1/2 नाई सा0 देह	517/2	0.46	
	कुल	किता 1	0.46	
6	नाराण पुत्र नाना 1/3 कालु पुत्र नाना 1/3 जमनाबाई पुष्पाबाई राजीबाई पुत्री भेरुलाल 1/3 नाई सा.देह	517/3	0.05	
		518	0.03	

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला-चित्तौड़गढ़

		कुल	किता 2	0.08	
7	कालु पुत्र नाना 1852/3450 जमनाबाई 216/3450 राजीबाई 216/3450 पुष्पाबाई 866/ 3450 पुत्री भेरु लाल नाई सा0 देह, लीला देवी पत्नि भंवरलाल खटीक सा.देह 2/3450		519/1	0.3450	
		कुल	किता 1	0.3450	
8	कालु पुत्र नाना नाई सा.देह 568/958 कैलाशचन्द्र पुत्र हिरालाल स्वर्णकार सा.देह 214/958, नरेन्द्र कुमार पुत्र राधेश्याम वैष्णव सा.हीता 88/958 नरेन्द्र कुमार पुत्र कन्हैयादास वैष्णव सा. मण्डफिया 88/958		522/3	0.0808	
			522/6	0.0150	
		कुल	किता 2	0.0958	
9	मुकेश कुमार पिता विजयकुमार उर्फ विरेन्द्र कुमार मेहता सा. भीण्डर		519/3	0.0450	
		कुल	किता 1	0.0450	

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे। निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।



(अ. शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भदर, जिला-सिन्धीडगढ़
भदरसर,